उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-1

संख्या-99/2015/1908/14-1-2015-300(34)/97टीसी

लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय श्री बी0 शिवान्धा राव, भा0व0से0 (सेवानिवृत्त) को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून, 2015 को देय 300 दिन के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकदीकरण की अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-20(बी)(1) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यय अनुदान संख्या:-62 के लेखा-शीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (आयोजनेत्तर)-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नकदीकरण-01-दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-02- दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ के नामे डाला जायेगा।

सुनील पाण्डेय

सचिव

संख्या-1908(1)/14-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बी0 शिवान्धा राव, भा0व0से0 (से0नि0), पता-मुमीदीवरम, पोस्ट- एण्ड मण्डलम, पूर्वी गोदावरी, जिला-तिलामचेरू, आन्ध्र प्रदेश-533216।

3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

4- वित्त व्यय नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in